फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

पांची देवी बनाम गोपाल वगै0

ां0 :–101/2023

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.05.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण अनु0। पत्रावली कोर्ट कैम्प में दिनांक 13.05.2024 को पेश हों।	
.05.2024	पत्रावली आज कोर्ट कैम्प न्यायालय हाजा में पेश हुई। कोर्ट कैम्प की सूचना अधिवक्ता संघ को पूर्व में दी गई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण अनु0। अप्रार्थीगणों को बार–बार आवाज लगवाई गई। पत्रावली में अप्रार्थीगणों को पूर्व में जरिये रजि0 ए0डी0 से तलबी की गई। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार ने अपने पत्रांक/एल0आर0/24/1367 दिनांक 25.04.24 द्वारा रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम चैनपुरावास डेडवाडी, पटवार हल्का बिलोद, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1/68 रकबा 0.9484है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी (ललित मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	